



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-16032026-270976  
CG-TL-E-16032026-270976

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1277]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 16, 2026/फाल्गुन 25, 1947

No. 1277]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 16, 2026/PHALGUNA 25, 1947

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

गुंटूर, 2 मार्च, 2026

का.आ. 1336(अ).— रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खण्ड (7A) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ (5) में उल्लिखित अधिकारी को भूमि अधिग्रहण हेतु सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिए अधिसूचित किया जाता है, जो कि स्तम्भ (2) में उल्लिखित विशेष रेल परियोजना के क्रियान्वयन, अनुरक्षण, प्रबंधन एवं संचालन के उद्देश्य से, तालिका के स्तम्भ (3) में उल्लिखित राज्य में, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

## तालिका

क्र.सं.	विशेष रेलवे परियोजना	राज्य	जिला	भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	दूर: गुंटूर-कृष्णा नहर: गुंटूर-नंबूर स्टेशनों के बीच किमी 3/25-27 पर एलसी नंबर 03 के बदले 4-लेन आरओबी का निर्माण।	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	राजस्व मंडल अधिकारी, गुंटूर

[फा. सं. GS/GST/ROBs/2026/LC.03]

के. साइमन, मुख्य परियोजना प्रबंधक/गति शक्ति

## MINISTRY OF RAILWAYS

(South Central Railway)

## NOTIFICATION

Guntur, the 2nd March, 2026

**S.O. 1336(E).**— In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in the column (5) of the Table below to perform the functions of the Competent Authority for Land Acquisition in respect of the Special Railway Projects as mentioned in column (2) of the Table for execution, maintenance, management and operation in the state mentioned in column (3) of the said table with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

## TABLE

Sl. No.	Special Railway Project	State	District	Competent authority for Land Acquisition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Guntur : Guntur-Krishna Canal: Construction of 4-lane ROB in lieu of LC No. 03 at Km 3/25-27 between Guntur-Nambur stations.	Andhra Pradesh	Guntur	Revenue Divisional Officer, Guntur

[F. No. GS/GST/ROBs/2026/LC.03]

K. SIMON, Chief Project Manager/Gati Shakti